

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्तभवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष 0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/575

दिनांक:- 05/05/2023

कार्यालय आदेश

नव चयनित कनिष्ठ लेखाकारों के द्वारा विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अध्ययन स्वयंपाठी विद्यार्थी के रूप में अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है। जिनका विवरण निम्नानुसार है।

क्रम संख्या	नाम कनिष्ठ लेखाकर (श्री/श्रीमती/सुश्री)	वर्तमान कार्यालय	नाम परीक्षा	आयोजक संस्था
1.	रवि कुमार शर्मा	कोषाधिकारी धौलपुर	एम.ए. (प्रीवियस) स्वयंपाठी (विषय-अर्थशास्त्र), वर्ष 2024-25	महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय भरतपुर
2.	रविन्द्र सिंह	कोषाधिकारी धौलपुर	एम.ए. (प्रीवियस) स्वयंपाठी (विषय-अर्थशास्त्र), वर्ष 2024-25	महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय भरतपुर
3.	गुनीराम	कोषाधिकारी धौलपुर	एम.ए. (प्रीवियस) स्वयंपाठी (विषय-अर्थशास्त्र), वर्ष 2024-25	महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय भरतपुर
4	दीपिका राठौड़	कोषाधिकारी, सिरौही	एम.ए. प्रथम वर्ष 2025-26 (विषय-राजनीतिक विज्ञान) (पत्राचार)	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
5	देविका बंजारा	कोषाधिकारी, सिरौही	एम.ए. प्रथम वर्ष (विषय-राजनीतिक विज्ञान) (पत्राचार) वर्ष 2025-26	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
6	सूरज सिंह शेखावत	आयुक्त कार्यालय टीएडी उदयपुर	एम.कॉम. (A.B.S.T.) फाइनल, स्वयंपाठी, वर्ष 2024-25	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
7	अमन कुमारी	तहसीलदार पिलानी जिला झुन्झुनूं	एम.ए. फाइनल (विषय-अर्थशास्त्र) फाइनल, स्वयंपाठी, वर्ष 2024-25	पंडित दीन दयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर
8	रीतू	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ाऊ झुन्झुनूं	एम.ए. फाइनल (विषय-इतिहास) फाइनल, स्वयंपाठी, वर्ष 2024-25	पंडित दीन दयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर
9	प्रियंका कंवर	निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर	एम.कॉम. (A.B.S.T.) फाइनल, (स्वयंपाठी), वर्ष 2024-25	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
10	अमित सैन	निरीक्षण विभाग, हनुमानगढ़	एम.ए. फाइनल (विषय-समाजशास्त्र) (स्वयंपाठी) वर्ष 2024-25	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
11	प्रीतम स्वामी	तहसीलदार भानीपुरा	एम.ए. फाइनल (विषय-इतिहास)	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

			(स्वयंपाठी) वर्ष-2024-25	
12	महेन्द्र कुमार	कोषाधिकारी, जैसलमेर	एम.ए. (विषय- राजनीति विज्ञान) अंतिम वर्ष, स्वयंपाठी, वर्ष 2024-25	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
13	भारत रांकावत	कोषाधिकारी, चूरु	एम.ए. फाइनल (विषय- राजनीतिक विज्ञान), स्वयंपाठी वर्ष-2024-25	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
14	अनिल कुमार	अधीक्षण अभियन्ता, पी.एम. यू. (आर.डब्ल्यू.एस. आर.पी.डी.) हनुमानगढ़	एम.ए. फाइनल (विषय-इतिहास) (स्वयंपाठी) वर्ष 2024-25	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्यधीन होगी :-

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 आपका पदस्थापन मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
- 3 प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
- 4 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 5 उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 6 अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 7 अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/ व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 8 अध्ययन वर्ष में उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/ विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
- 9 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 10 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/575

दिनांक:- 05/05/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित कोषाधिकारी/विभाग.....।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित नवचयनित कनिष्ठ लेखाकार.....।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)